12

राज्य योजना (टी0एस0पी0)
संख्या: 155 / I / 2012–3(I) 26 / 2010

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा
अनु सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा
देहरादून

वैकल्पिक ऊर्जा विभाग

देहरादून: दिनांक 02 फरवरी, 2012

विषय:– वित्तीय वर्ष 2011–12 में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209 / XXVII (1) / 2011, दिनांक 31.03.2011 एवं आपके पत्र संख्या: 1770 / उरेडा–9–1(121) / ब0आ0 / 11 दिनांक 14–10–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वित्तीय वर्ष 2011–12 में रू0 16.00 लाख (रू0 सोलह लाख मात्र) की धनराशि आयोजनागत मद में अनुदान / उपादान के रूप में संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) स्वीकृत धनराशि का बिल निदेशक, उरेडा द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार में आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरण कर उसे 31–3–2012 तक व्यय कर लिया जायेगा एवं अनावश्यक रूप से धनराशि को बैंकों में पार्किंग कर नहीं रखा जायेगा।

(ii) व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैन्युअल, फाईनैन्शियल हैण्डबुक, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, शासन के मितव्ययता विषयक आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, योजनावार व्यय विवरण एवं योजनाओं की वित्तीय / भौतिक प्रगति आदि का विवरण यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को भी समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।

(iv) व्यय उन्हीं मदों से किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(v) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय निर्माण एजेन्सी / सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) योजनान्तर्गत सम्बन्धित योजनाओं / कार्यों हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति भी समय से कर ली जायेगी तथा योजना / कार्यवार प्राप्त केन्द्रांश का विवरण तथा तद्क्रम में प्रत्येक योजना / कार्यवार कुल लागत / व्यय धनराशि के सापेक्ष व्यय किये गये केन्द्रांश व राज्यांश का विवरण भी शासन में वित्त विभाग को समय से प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(vii) उक्त योजनाओं पर उक्त धनराशि राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और शेष राज्यांश तब ही अवमुक्त किया जाएगा, जब केन्द्र सरकार द्वारा अपने अंश के विपरीत धनराशि अवमुक्त कर देगी। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। जिन योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त होता है उनके सापेक्ष केन्द्रांश अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक में अनुदान संख्या—31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810—वैकल्पिक ऊर्जा—60—ऊर्जा के अन्य स्रोत—796—जनजाति क्षेत्र उपयोजना—03—लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना—01—उरेडा को सहायता—50—सब्सिडी आयोजनागत के सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—30/XXVII(2)/2012, दिनांक 31 जनवरी, 2012 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

संख्याः 155 / I/2011—3(1) 26/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2— जिलाधिकारी, देहरादून।
3— कोषाधिकारी, देहरादून।
4— वित्त अनुभाग—2/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5— सहायक विद्युत निरीक्षक, विद्युत सुरक्षा विभाग, देहरादून।
6— सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
7— सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
8— गार्ड फाईल।

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।